[ 2021 ] 8 एस. सी. आर 728

एस्टेट कार्यालय

वी.

कोलोनेल एच. वी. मंकोटिया (सेवानिवृत्त)

( 2021 की सिविल अपील संख्या 6223)

07 अक्टूबर, 2021

[ एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987-ss. 19 , 20 - लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र-आयोजितः लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र निर्धारित करना है

और किसी विवाद के पक्षों के बीच किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने के लिए-यदि कोई समझौता/समझौता नहीं किया जाता है, तो लोक अदालत

जिस न्यायालय से कानून के अनुसार निपटारे के लिए संदर्भ प्राप्त हुआ था, उस न्यायालय को मामले को वापस करना होगा-एक बार यह पाया जाने के बाद कि पक्षों के बीच समझौता या समझौता नहीं किया जा सका है, लोक अदालत के पास गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

- लोक अदालत द्वारा रिट को खारिज करते हुए पारित विवादित आदेश

योग्यता के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जाता है-मामला रिमांड पर लिया जाता है

उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 की उप-धारा (5) के अनुसार लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा।

किसी समझौते या समझौते को निर्धारित करना और उस पर पहुंचना (i) इससे पहले लंबित कोई मामला; या (ii) कोई भी मामला जो अधिकार क्षेत्र में आता है, के संबंध में किसी विवाद के पक्षों के बीच

जिस न्यायालय के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, और उसके समक्ष नहीं लाया जाता है। धारा 20 की उप-धारा (1) के अनुसार, जिसमें धारा 19 की उप-धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई भी मामला-(i) (क) उसके पक्षकार सहमत होते हैं; या (i) (ख) उसके पक्षकारों में से कोई एक मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को भेजने के लिए अदालत में आवेदन करता है और यदि ऐसा न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि ऐसे समझौते की संभावना है या (ii) अदालत का समाधान है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान में लिया जाना उचित है, अदालत मामले को लोक अदालत को भेजेगी। इसमें आगे यह प्रावधान है कि कोई भी मामला लोक अदालत को नहीं भेजा जाएगा।

खंड (i) के उपखंड (ख) या खंड (ii) के तहत ऐसे न्यायालय द्वारा

पक्षकारों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद। धारा 20 की उप-धारा (3) के अनुसार जहां कोई मामला उप-धारा (1) के तहत लोक अदालत को भेजा जाता है या जहां उप-धारा (2) के तहत इसका संदर्भ दिया जाता है, वहां लोक अदालत मामले या मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी और किसी समझौते पर पहुंचेगी या

पक्षों के बीच समझौता। धारा 20 की उप-धारा (5) में आगे यह प्रावधान है कि जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, तो मामले का रिकॉर्ड उस अदालत को वापस कर दिया जाएगा, जिससे उप-धारा (1) के तहत संदर्भ प्राप्त हुआ है ताकि कानून के अनुसार निपटान किया जा सके। लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी विवाद के पक्षकारों के बीच किसी समझौते या समझौते को निर्धारित करना और उस पर पहुंचना होगा और एक बार जब उपरोक्त समझौता/समझौता विफल हो जाता है और नहीं

पक्षों के बीच समझौता या समझौता किया जा सकता है, लोक अदालत को उस अदालत को मामला वापस करना होगा जिससे कानून के साथ विसंगति के निपटारे के लिए संदर्भ प्राप्त हुआ है।

और किसी भी मामले में, लोक अदालत के पास इस मामले पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि एक बार यह पाया जाए कि समझौता या

दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका। [ अनुच्छेद 6.1,2.2 और 7] [733-जी-एच; 734-ए-एफ]

पंजाब राज्य और अन्य। वी. गणपत राज (2006) 8 एससीसी 364 [ 2006 ] 6 पूरक। एस. सी. आर. 25-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[ 2006 ] 6 पूरक। एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6223

2021

उच्च न्यायालय के 30.11.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की रिट याचिका No.8074 में इंदौर में मध्य प्रदेश पीठ की।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

विक्रांत सिंह बैस, योगेश तिवारी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 30.11.2013 के विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, पीठ ने

इंदौर ने 2011 की रिट याचिका संख्या 8074 में, जिसके द्वारा लोक अदालत के सदस्यों ने रिट याचिका के गुण-दोष में प्रवेश किया है और योग्यता के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2.1 कि इसके बाद अपीलार्थी ने मुख्य रिट याचिका को बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष बहाली आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि लोक अदालत में पारित आदेश लोक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अदालत और इसलिए, वही कानून की नजर में वैध नहीं है। हालाँकि, उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और इसलिए वर्तमान अपील।

3. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी ने जोरदार तरीके से कहा है कि विवादित आदेश में कहा गया है कि लोक अदालत और लोक अदालत में पारित किया गया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार किया है और गुण-दोष के आधार पर इसे खारिज कर दिया है, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (इसके बाद "अधिनियम, 1987" के रूप में संदर्भित) के प्रासंगिक प्रावधानों को देखते हुए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विद्वान ए. एस. जी. श्री बनर्जी ने अपनी इस दलील के समर्थन में कि लोक अदालत को यह निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा, अधिनियम, 1987 की धारा 19 (5), धारा 20 (3) और धारा 20 (5) पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

और किसी विवाद के पक्षों के बीच किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने के लिए और मामले के गुण-दोष में प्रवेश करने और गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यदि समझौता नहीं किया जाता है। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि लोक अदालत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पंजाब राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। बनाम गणपत राज (2006) 8 एस. सी. सी. 364।

3.1 वर्तमान अपील का विरोध करते हुए प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मामला रखा गया था

अपीलार्थी के विद्वान वकील की सहमति से लोक अदालत के समक्ष। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, एक बार मामला सहमति से लोक अदालत के समक्ष रखे जाने के बाद, पूरा मामला लोक अदालत के समक्ष बड़े पैमाने पर होगा और इसलिए, याचिका में कोई सार नहीं मिलने पर, लोक अदालत के सदस्यों ने रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

4. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना।

5. इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लोक अदालत में, क्या लोक अदालत के सदस्यों के लिए रिट याचिका के गुण-दोष में प्रवेश करने और गुण-दोष के आधार पर उसे खारिज करने का अधिकार था।

पार्टियों के बीच समझौता हुआ? 6. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रासंगिक प्रावधान, जो एक

लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैः

" 19. लोक अदालतों का संगठन-(1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण

या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवाएँ समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या, जैसा भी मामला हो, तालुक कानूनी सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और इस तरह के प्रयोग के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है।

अधिकारिता और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह उचित समझता है।

( 2 ) एक क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे -

इस तरह की संख्याः

( क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी; और

( (ख) अन्य व्यक्ति,

राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति या उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, या जैसा भी मामला हो, तालुक कानूनी सेवा समिति द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र का, जो इस तरह के लोक सभा निर्वाचन का आयोजन करती है।

अदालतें।

( 3 ) अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएँ

लोक के लिए उप-धारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट

सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज [2021] 8 एस. सी. आर. द्वारा आयोजित अदालतें।

समिति ऐसी होगी जो इसके द्वारा निर्धारित की जाए -

भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार।

( 4 ) अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएँ

उप-धारा (3) में निर्दिष्ट के अलावा लोक अदालतों के लिए उप-धारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

( 5 ) लोक अदालत के पास पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता करने का अधिकार क्षेत्र होगा। के संबंध में विवादः

( (क) पूर्व में लंबित कोई मामला; या

( (ख) कोई भी मामला जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है और जिसके समक्ष नहीं लाया जाता है,

कोई भी अदालत जिसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या मामले का, जो किसी कानून के तहत शमनीय नहीं है। 20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान-(1) जहां किसी भी मामले में धारा 19 (i) की उप-धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट है।

( (ए) इसके पक्षकार सहमत हैं; या
( (i) (b) उसके पक्षों में से एक इसके लिए आवेदन करता है -

अदालत,

मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को भेजने के लिए और यदि ऐसा न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि इस तरह के समझौते की संभावना है; या

( (ii) न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मामला उचित है।

लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाना,

न्यायालय मामले को लोक अदालत को भेजेगाः

बशर्ते कि कोई भी मामला लोक अदालत को नहीं भेजा जाएगा

खंड (i) के उपखंड (ख) या खंड (ii) के तहत ऐसे न्यायालय द्वारा

पक्षकारों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद।

( 2 ) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य कार्यालय का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति v.

कोलोनेल एच. वी. मंकोटिया (सेवानिवृत्त) [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत लोक अदालत, प्राप्ति पर धारा 19 की उप-धारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के पक्षकारों में से किसी एक के आवेदन में कि इस तरह के मामले को लोक अदालत द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है, ऐसे मामले को

लोक अदालत, दृढ़ संकल्प के लिए: बशर्ते कि कोई भी मामला लोक अदालत को नहीं भेजा जाएगा, सिवाय इसके कि उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए।

दूसरी पार्टी।

( 3 ) जहाँ कोई मामला उप-धारा के तहत लोक अदालत को भेजा जाता है। ( 1 ) या जहां उप-धारा (2) के तहत इसे कोई निर्देश दिया गया है, वहां लोक अदालत मामले या मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी और पक्षों के बीच समझौता या समझौता करेगी।

( 4 ) प्रत्येक लोक अदालत, इससे पहले किसी भी संदर्भ का निर्धारण करते समय

इस अधिनियम के तहत, एक पर पहुंचने के लिए अत्यधिक अभियान के साथ कार्य करें

पक्षों के बीच समझौता या समझौता और न्याय समानता, निष्पक्ष खेल और अन्य कानूनी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

सिद्धांत। ( 5 ) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, तो मामले का रिकॉर्ड उस अदालत को वापस कर दिया जाएगा, जिससे उप-धारा (1) के तहत कानून के अनुसार निपटान के लिए संदर्भ प्राप्त किया गया है।

( 6 ) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि दोनों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है। उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले में पक्षकारों ने कहा कि लोक अदालत

पक्षकारों को अदालत में उपचार लेने की सलाह देगा।

( 7 ) जहां उप-धारा (5) के तहत मामले का रिकॉर्ड अदालत को लौटा दिया जाता है, वहां ऐसा अदालत ऐसे मामले से निपटने के लिए उस चरण से आगे बढ़ेगा जो इस तरह के संदर्भ से पहले पहुंचा था।

उप-धारा (1) "।

6.1 धारा 19 की उप-धारा (5) के अनुसार, एक लोक अदालत के पास (i) लंबित किसी मामले के संबंध में किसी विवाद के पक्षकारों के लिए समझौता या समझौता करने और उस पर पहुंचने का अधिकार होगा; या (ii) कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, और जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है, उसके समक्ष विचाराधीन है। धारा 20 की धारा (1) के तहत जहां किसी भी मामले में खंड सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में संदर्भित किया गया है

21 ] 8 एस सी आर।

( i) धारा 19 की उप-धारा (5) (i) (क) के पक्षकार सहमत हैं; या

( i) (ख) उसके पक्षों में से एक पक्ष मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को भेजने के लिए अदालत में आवेदन करता है और यदि ऐसा अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि इस तरह के समझौते की संभावना है या (ii) अदालत का समाधान है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए उचित है, तो अदालत मामले को लोक अदालत को भेजेगी। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के अलावा ऐसे न्यायालय द्वारा खंड (i) या खंड (ii) के उपखंड (ख) के तहत कोई भी मामला लोक अदालत को नहीं भेजा जाएगा।

6.2 धारा 20 की उप-धारा (3) के अनुसार जहां कोई मामला उप-धारा (1) के तहत लोक अदालत को भेजा जाता है या जहां इसका संदर्भ दिया जाता है।

उप-धारा (2) के तहत, लोक अदालत मामले या मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी और पक्षों के बीच समझौता या समझौता करेगी। धारा 20 की उप-धारा (5) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, तो मामले का रिकॉर्ड उसके द्वारा उस अदालत को वापस कर दिया जाएगा, जिससे संदर्भ दिया गया है।

उप-धारा (1) के तहत कानून के अनुसार निपटान के लिए प्राप्त किया गया। 7. इस प्रकार, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपरोक्त प्रावधानों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी समझौते या समझौते पर पहुंचना होगा।

किसी विवाद के पक्षों के बीच समझौता और एक बार जब उपरोक्त समझौता/समझौता विफल हो जाता है और कोई समझौता या समझौता नहीं हो सकता है। पक्षकारों के बीच समझौता होने पर, लोक अदालत को उस न्यायालय को मामला वापस करना होता है जिससे कानून के अनुसार निपटारे के लिए संदर्भ प्राप्त हुआ है और किसी भी मामले में, लोक अदालत को यह पाए जाने के बाद कि पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता नहीं किया जा सका है, मामले पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

8. पंजाब राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान प्रश्न पर विचार किया गया। बनाम गणपत राज (ऊपर) और उसके बाद

अधिनियम, 1987 की धारा 20 पर विचार करते हुए, यह पैराग्राफ 7 में निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 7. धारा 20 की उप-धारा (3) में उपयोग की गई विशिष्ट भाषा यह स्पष्ट करती है कि लोक अदालत पक्षों के बीच समझौता या समझौते के माध्यम से किसी मामले का निपटारा कर सकती है। दो महत्वपूर्ण धारा 20 की उप-धारा (3) और (5) में शब्द "समझौता" और "समझौता" हैं। पूर्व अभिव्यक्ति का अर्थ है ई. एस. टी. ए. टी. ई. ओ. एफ. आई. सी. ई. आर. का निपटान।

कोलोनेल एच. वी. मंकोटिया (सेवानिवृत्त) [एम. आर. शाह, जे.]

पारस्परिक रियायतों द्वारा मतभेद। यह मांगों के पारस्परिक संशोधन द्वारा परस्पर विरोधी या विरोधी दावों के समायोजन द्वारा किया गया एक समझौता है। टर्म्स डे ला ले के अनुसार, "समझौता दो या दो से अधिक पक्षों का एक आपसी वादा है जो विवाद में हैं"। बोवियर के अनुसार यह "दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है, जो एक कानूनी मुकदमे से बचने के लिए, अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाते हैं, ऐसी शर्तों पर जिन पर वे सहमत हो सकते हैं"। "समझौता" शब्द का तात्पर्य प्रत्येक पक्ष में समायोजन के कुछ तत्व से है। पूर्ण समर्पण का वर्णन करना उचित नहीं है। ( एन. एफ. यू. डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, री [(1973) 1 ऑल ई. आर. 135: ( 1972 ) 1 डब्ल्यूएलआर 1548 (सीएचडी)])। समझौता हमेशा द्वैपाक्षिक होता है और इसका अर्थ है आपसी समायोजन।

" समझौता आपसी सहमति से कानूनी कार्यवाही की समाप्ति है। इस मामले में कोई समझौता या समझौता शामिल नहीं था और लोक अदालत द्वारा इसका निपटारा नहीं किया जा सकता था। यदि कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है, तो लोक अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा दायर 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 943 का निपटान स्पष्ट रूप से है।

अस्वीकार्य "।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लोक अदालत द्वारा गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने का विवादित आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और दरकिनार करने योग्य है। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह निवेदन कि एक बार मामला सहमति से लोक अदालत के समक्ष रखा गया था, उसके बाद पूरा मामला लोक अदालत के समक्ष है और इसलिए, लोक अदालत गुण-दोष के आधार पर मामले को निपटाने में उचित है, कोई सार नहीं है और इसे पूरी तरह से खारिज करने की आवश्यकता है। मामले को लोक अदालत के समक्ष रखने की सहमति एक समझौते पर पहुंचने और या पक्षों के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए थी, न कि मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए लोक अदालत के समक्ष रखने के लिए। एक बार जब लोक अदालत के समक्ष पक्षों के बीच कोई समझौता और/या समझौता नहीं होता है, जैसा कि उप-धारा में दिया गया है।

( 5 ) धारा 20 के अनुसार, मामले को उस न्यायालय को वापस करना होगा जहां से संबंधित न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर मामले पर निर्णय लेने के लिए मामला लोक अदालत को भेजा गया था।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, लोक अदालत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश

2011 की रिट याचिका No.8074 में दिनांकित 30.11.2013 को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। 2011 की रिट याचिका No.8074 पर गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

2011 की रिट याचिका No.8074 को गुण-दोष पर अपने निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में बहाल करने का आदेश दिया गया है और 1 के अनुसार वर्तमान अपील तदनुसार अनुमत है। तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपील एलो

दिव्या पांडे